



हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 2008-2009

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

Review of the Annual Administrative Report of the Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana for the year 2008-2009.

During the year 2008 – 2009, a sum of Rs. 16551.01 lacs was allocated under State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, out of this, Rs 9100.00 lacs, Rs. 2174.70 lacs, Rs. 2100.00 lacs and Rs. 3176.31 lacs were for the State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes respectively. An expenditure of Rs. 12348.66 lacs was incurred during this year. Out of this Rs. 6135.11 lacs, Rs. 1407.64 lacs, Rs. 1167.22 lacs and Rs. 3638.69 lacs were incurred under the State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes respectively.

2. A summary of State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes is as under :—

A. STATE PLAN SCHEMES

- i) An amount of Rs. 732.00 lacs was given as subsidy to 2200 beneficiaries under the “Housing Scheme for Scheduled Castes”.
- ii) An amount of Rs. 78.00 lacs was given as subsidy to 228 beneficiaries belonging to Tapriwas and Vimukt Jatis for the construction of houses.
- iii) An amount of Rs. 175.66 lacs was spent on 4243 students under the scheme of “Meritorious Incentive to Scheduled Castes Students who get 1st Division in Post - Matric / Post Graduate Classes”.
- iv) Under the scheme “ Free residential facilities provided to the Meritorious Scheduled Castes Students residing in rural areas”, an amount of Rs. 3.73 lacs was spent on 32 students during this year.
- v) During this year, an amount of Rs. 100.00 lacs was given as share capital to Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam and an amount Rs. 110.00 lacs was given as subsidy to bear administrative expenses.

(ii)

- vi) An amount of Rs. 5.71 lacs was spent on 1720 Scheduled Castes Trainees under the Scheme "Tailoring Training to Scheduled Castes Widows / Destitute Women / Girls".
- vii) Under the Scheme of "Indira Gandhi Priya Darshini Vivah Shagun Yojna", an amount of Rs. 1968.98 lacs was spent on 16907 (10047 Scheduled Castes and 6860 Backward Classes) beneficiaries during the year 2008-09.
- viii) During the year 2008-2009, a sum of Rs 18.48 lac was spent on 268 Scheduled Castes and Backward Classes Students for providing them coaching for I.A.S. & other higher services competitive examinations from reputed private institutions.
- ix) An amount of Rs. 140.00 lacs was given on Plan side as Share Capital to "Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation" during the year 2008-09 and Rs. 385.30 lacs was given as subsidy to bear administrative expenses.
- x) An amount of Rs. 1233.90 lac was spent on 12346 (8567 SC & 3779 BC) Students under "Dr. Ambedkar Medhavi Chhattra Yojna" during the year 2008-09.
- xi) An amount of Rs. 0.90 lacs was spent on Information Technology during the year, 2008-09.
- xii) An amount of Rs. 560.00 lacs was spent on 560 Beneficiaries under the Housing Scheme for Backward Classes & Minorities during the year 2008-09.
- xiii) An amount of Rs. 39.49 lacs was spent under the scheme of up gradation of the Typing and Data Entry Skill of the SC/BC unemployed youth through computer during the year 2008-09.
- xiv) An amount of Rs. 400.00 lacs was spent under the scheme of Creation of employment generation opportunities by setting up employment oriented institutes during the year 2008-09.

B. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

- i) An amount of Rs. 66.82 lacs (State Plan Rs. 0.00 lac, Centrally Sponsored Plan Rs. 0.00 lac and Rs. 66.82 lacs on Non-Plan) was spent on 6658 students under the scheme of "Pre-Matric

(iii)

Scholarship to Children of those Parents who are engaged in Unclean Occupations i.e. scavenging of dry latrines, tanning and flaying”.

- ii) A amount of Rs. 260.00 lacs (130.00 lacs State plan and 130.00 lacs Centrally Sponsored plan) was spent on construction of hostel for OBC Boys/ Girls.
- iii) An amount of Rs. 54.12 lacs was spent on 210 Scheduled Castes Students for training of Type and Shorthand in pre-examination Training Centre during the year 2008-09.
- iv) An amount of Rs. 1569.58 lacs (Rs. 978.00 lacs Non-Plan and Rs.591.58 lacs Central Share plan) was spent on 26620 Scheduled Castes Students under the Government of India's "Post-Matric Scholarship Scheme".
- v) An amount of Rs. 9.54 lacs was spent on 32 Scheduled Castes Students under the scheme of Up-gradation of Merits of Scheduled Castes / Scheduled Tribes Students" during the year 2008-09.
- vi) An amount of Rs. 438.35 lacs was spent on 28705 Backward Classes students under the scheme of Post-Matric Scholarship Scheme to O.B.C.
- vii) An amount of Rs. 187.58 lacs was spent on Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna.
- viii) Schemes under Machinery for the Implementation of P.C.R. Act, 1955 and Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989:—

a) Legal Assistance :-

No amount was spent under the "Legal Aid Scheme" during the year 2008-09.

b) Inter-Caste Marriage :-

Under this scheme, an amount of Rs. 47.00 lacs (Rs. 23.50 lacs State Plan and Rs.23.50 lacs Centrally Sponsored Plan) was given to 94 Couples.

(iv)

c) **Debates and Seminars for removal of Untouchability,**

Award to Panchayats and Publicity of Schemes:-

An amount of Rs.24.96 lacs (Rs.12.48 lacs on State Plan side and Rs. 12.48 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent under this scheme. Out of this an amount of Rs. 17.50 lacs (Rs. 8.75 lacs on State Plan and 8.75 lacs from Centrally Sponsored Plan) was given to 35 Panchayats for their outstanding work and Rs. 6.36 lacs (Rs. 3.18 lacs on State Plan and Rs. 3.18 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on publicity of schemes and Rs. 1.10 lacs (0.55 lacs from State Plan and 0.55 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on 18 Debates and Seminars.

d) **Monetary Relief to the Victims of Atrocities**

An amount of Rs. 29.22 lacs (Rs. 14.61 lacs State Plan and Rs. 14.61 lacs from Centrally Sponsored Scheme) was given to 95 Scheduled Castes persons under this scheme.

C SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE SCHEME

Under the Special Central Assistance Scheme, a sum of Rs. 1045.87 lacs was given to Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the economic development of Scheduled Castes under various income generating Schemes and Rs. 38.33 lacs was spent by the Industrial Training and Vocational Education Department for special training and upgradation of I.T.I.s Ambala and Pundri for Scheduled Castes from their own budget. Besides this an amount of Rs. 121.35 lacs provided to Haryana Renewable Energy Development Agency for the establishment of S.P.V. Street light in 44 villages having more than 50% population of SCs in District Rohtak and Jhajjar.

D NON PLAN SCHEMES.

- i) An amount of Rs. 10.53 lacs was spent on 798 students under "Merit Scholarship to Scheduled Caste Girl Students".
- ii) Under "State Scheduled Castes (Educational) Welfare Scheme (School Stage)", an amount of Rs. 1340.00 lacs was disbursed to 314678 students of 9th to 12th classes belonging to Backward Classes.

- iii) No amount was spent under the Scheme of Grant in aid to various religious institutions/societies during the year 2008-09.
- iv) An amount of Rs 6.43 lacs was spent on 6088 students under the scheme "Award of Scholarship of Denotified Tribes Students" studying from 1st to 12th classes.
- v) An amount of Rs. 9.12 lacs was spent on 17 students residing in the Hostel running at Jind for Denotified Tribes students.
- vi) An amount of Rs. 7.90 lacs was spent on the "Haryana Second Backward Classes Commission" during the year 2008-2009.
- vii) For the implementation of the aforesaid schemes, an amount of Rs. 1168.14 lacs (Rs. 1165.77 lacs Non Plan and Rs. 2.37 lacs Plan) was spent during the year 2008-2009 on the staff posted at Head Quarter, District and Tehsil Level.

3. This Administrative Report describes the schemes of the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department for the year 2008-2009. The annexed report depicts the position in detail. While considerable work has been done to ameliorate the problems of these castes, a lot more is required to be done. This department will address itself to this task with even greater determination.

4. This Review of the Report may be published in the Haryana Government Gazette and its copies of the Report be sent to the Govt. of India and other concerned quarters.

DHANPAT SINGH, IAS

Dated, Chandigarh
19-11-2010

Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt, Haryana, Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes Department, Chandigarh.

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की वर्ष 2008-2009 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वर्ष 2008-2009 में स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजित, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान योजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि 16551.01 लाख रुपये थी। इसमें से स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजित, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान की राशि क्रमशः 9100.00 लाख रुपये, 2174.70 लाख रुपये, 2100.00 लाख रुपये तथा 3176.31 लाख रुपये थी और इस वर्ष इसका वास्तविक खर्च 12348.66 लाख रुपये अर्थात् 6135.11 लाख रुपये प्लान स्कीमों पर, 1407.64 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर, 1167.22 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीमों पर तथा 3638.69 लाख रुपये नान प्लान स्कीमों पर हुआ।

2. स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजित, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान स्कीमों का सारांश इस प्रकार है :-

(क) राज्य प्लान स्कीमें

- (1) "अनुसूचित जातियों के मकान बनाने की योजना" के अन्तर्गत 732.00 लाख रुपये की राशि से 2200 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया।
- (2) टपरीवास एवं विगुक्त जातियों के लिए मकान निर्माण हेतु 78.00 लाख रुपये की राशि 228 व्यक्तियों पर खर्च की गई।
- (3) "अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देने की योजना" के अन्तर्गत 4223 छात्रों पर 175.66 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।
- (4) "अनुसूचित जाति के मेधावी ग्रामीण छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु शहरी क्षेत्रों में मुफ्त आवासीय सुविधा प्रदान करने की स्कीम" के अन्तर्गत 3.73 लाख रुपये की राशि 32 छात्रों पर खर्च की गई।
- (5) हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 100.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 110.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

- (6) "अनुसूचित जाति की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 5.71 लाख रुपये व्यय किए गए तथा 1720 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- (7) इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 1968.98 लाख रुपये की राशि 16907 (10047 अनुसूचित जाति तथा 6860 अन्य वर्ग) लाभपात्रों पर वर्ष 2008-09 में खर्च की गई।
- (8) आई.ए.एस. तथा उच्च सेवाओं की प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को प्राईवेट प्रसिद्ध संस्थाओं से प्रशिक्षण कोचिंग प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-2009 में 18.48 लाख रुपये की राशि 268 छात्रों पर व्यय की गई।
- (9) वर्ष 2008-09 में "हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम" को हिस्सा पूंजी के रूप में प्लान साईड से 140.00 लाख रुपये की राशि दी गई है तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 385.30 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।
- (10) वर्ष 2008-09 में डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 1233.90 लाख रुपये की राशि 12346 (8567 अनुसूचित जाति एवं 3779 पिछड़े वर्ग) छात्रों पर खर्च की गई।
- (11) वर्ष 2008-09 में सूचना प्रौद्योगिकी पर 0.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।
- (12) वर्ष 2008-2009 में 560.00 लाख रुपये की राशि पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय आवास योजना के अन्तर्गत 560 लाभ पात्रों पर खर्च की गई।
- (13) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल स्कीम पर 39.49 लाख रुपये की राशि वर्ष 2008-09 में खर्च की गई।
- (14) रोजगार उन्नमुख संस्थाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना स्कीम पर वर्ष 2008-09 में 400.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

- (1) अस्वच्छ कार्यो अर्थात् शुष्क शौचालयों की सफाई करना, चमड़ा रंगना, खाल उतारना सम्बन्धी कार्यो में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए 66.82 लाख रुपये (0.00 लाख रुपये राज्य प्लान 0.00 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित तथा 66.82 लाख रुपये नान प्लान) 6658 छात्रों पर खर्च किए गए।
- (2) अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों हेतु होस्टल के निर्माण पर 2.60 लाख रुपये की राशि (1.30 लाख रुपये राज्य प्लान व 1.30 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) वर्ष 2008-09 में खर्च की गई है।
- (3) विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को टाईप तथा शार्टहैंण्ड का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2008-09 में 54.12 लाख रुपये की राशि 210 प्रशिक्षणार्थियों पर खर्च की गई।
- (4) भारत सरकार की "पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत 1569.58 लाख रुपये (978.00 लाख रुपये नान प्लान तथा 591.58 लाख रुपये केन्द्रीय हिरसा) 26620 अनुसूचित जाति के छात्रों पर खर्च किए गए।
- (5) "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों की मैरिट को अपग्रेड करने की स्कीम" पर वर्ष 2008-09 में 9.54 लाख रुपये की राशि 40 अनुसूचित जाति के छात्रों पर खर्च की गई।
- (6) भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में 438.35 लाख रुपये की राशि 28705 पिछड़े वर्ग के छात्रों पर खर्च की गई।
- (7) बाबू जगजीवन राम छात्रावास पर वर्ष 2008-09 में 187.58 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।
- (8) "पी.सी.आर. एक्ट 1955 " तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989" के परिपालन हेतु मशीनरी के अन्तर्गत स्कीमें :-

(क) कानूनी सहायता स्कीम

वर्ष 2008-09 में कानूनी सहायता स्कीम के अन्तर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत 94 नव विवाहित जोड़ों को 47.00 लाख रुपये की राशि दी गई (23.50 लाख रुपये प्लान तथा 23.50 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से खर्च किए गए)

(ग) छुआछूत दूर करने हेतु डिबेटस व सैमीनार, पंचायतों को पुरस्कार तथा स्कीमों का प्रचार

इस स्कीम के अन्तर्गत 24.96 लाख रुपये (12.48 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 12.48 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई जिसमें से 17.50 लाख रुपये (8.75 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 8.75 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 35 पंचायतों को पुरस्कार के रूप में तथा 6.36 लाख रुपये (3.18 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 3.18 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। डिबेटस एवं सैमीनार पर 1.10 लाख रुपये (0.55 लाख स्टेट प्लान व 0.55 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई।

(घ) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 29.22 लाख रुपये (14.61 लाख रुपये प्लान तथा 14.61 लाख रुपये केन्द्रीय प्लान) की राशि 95 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान की गई।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम

विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत 1045.87 लाख रुपये की राशि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को भिन्न-भिन्न आय सृजन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु प्रदान की गई तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण अम्बाला व पुण्डरी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतु 38.33 लाख रुपये की राशि अलाट की गई जो कि उन द्वारा अपने लेखा शीर्ष से खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को जिला रोहतक व झज्जर के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 44 गांवों में एस०पी०वी० स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु 121.35 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(घ) नान प्लान स्कीमें

- (1) अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए मैरिट स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत 10.53 लाख रुपये की राशि 798 छात्राओं पर खर्च की गई।
- (2) राज्य अनुसूचित जाति (शैक्षिक) कल्याण स्कीम के अन्तर्गत (स्कूल स्तर) 1340.00 लाख रुपये की राशि 9वीं से 12वीं कक्षा के 314678 पिछड़े वर्ग के छात्रों पर खर्च की गई।
- (3) विभिन्न धार्मिक संस्थाओं/सोसायटी अनुदान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कोई राशि खर्च नहीं की गई।
- (4) विमुक्त जाति के विद्यार्थियों को पहली से पोस्टग्रेजुएट कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत 6.43 लाख रुपये की राशि 6088 विद्यार्थियों पर खर्च की गई।
- (5) विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में स्थापित छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 9.12 लाख रुपये की राशि 17 छात्रों पर खर्च की गई है।
- (6) वर्ष 2008-2009 के दौरान हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग पर 7.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।
- (7) उपरोक्त स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय, जिलों/तहसीलों आदि में नियुक्त अमले पर वर्ष 2008-2009 में 1168.14 लाख रुपये की राशि (1165.77 लाख रुपये नान प्लान साईड पर और 2.37 लाख रुपये प्लान साईड) खर्च की गई।

3 यह प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा का वर्ष 2008-2009 की स्कीमों का वर्णन करती है। इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले पृष्ठों में भिन्न-भिन्न स्कीमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कार्य किया गया है फिर भी काफी कार्य करना शेष है। भविष्य में यह विभाग इस उत्तरदायित्व को और भी अधिक दृढ़ता से निभायेगा।

4. इस रिपोर्ट की समीक्षा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दी जाएं।

धनपत सिंह, आई०ए०एस०

दिनांक :

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण,
विभाग, चण्डीगढ़।

19-11-2011

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की वर्ष 2008-2009 की प्रशासनिक रिपोर्ट

भूमिका

यह अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की 43वीं प्रशासनिक रिपोर्ट है। इसका सम्बन्ध प्रथम अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक है। इस विभाग ने हरियाणा राज्य बनने के पश्चात इन जातियों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं जो कि इस विभाग द्वारा चलाई गई स्कीमों के विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है।

2. इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति एवं टपरीवास जातियों के कल्याण के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई हैं, ताकि इन जातियों का आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक उत्थान हो और यह जातियां समाज की दूसरी जातियों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें। मंत्री इन्चार्ज तथा प्रशासकीय सचिव के अतिरिक्त निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग इस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसील कल्याण अधिकारी विभाग का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

प्रशासन

इस वर्ष के दौरान 01-04-2008 से 19-06-2008 तक श्री ए०के० यादव, आई०ए०एस० व 13-8-2008 से 31-3-2009 तक श्रीमती नीलम पी० कासनी, आई०ए०एस० इस विभाग के निदेशक रहे हैं। निदेशालय तथा क्षेत्र में स्वीकृत अमले का विवरण इस प्रकार है :-

क्र० स०	पद का नाम निदेशालय	पे-बैंड	ग्रेड-पे	स्थाई	अस्थाई	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	संयुक्त निदेशक	15600-39100	6400	1	-	1
2.	मुख्य लेखा अधिकारी	15600-39100	7600	-	1	1
3.	उप-निदेशक	9300-34800	5400	3	-	3
4.	लेखा अधिकारी	9300-34800	5400	-	1	1
5.	सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7
6.	अनुसंधान अधिकारी	9300-34800	4200	1	—	1
7.	अधीक्षक	9300-34800	4200	1	—	1
8.	महिला कल्याण अधिकारी	9300-34800	4000	1	—	1
9.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800	4600	1	1	2
10.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	9300-34800	3600	3	—	3
11.	उप-अधीक्षक	9300-34800	3600	3	—	3
12.	आंकड़ा सहायक	9300-34800	3300	6	—	6
13.	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	9300-34800	3200	—	1	1
14.	सहायक	9300-34800	3200	13	—	13
15.	लेखाकार	9300-34800	3200	2	—	2
16.	जूनियर आडिटर	9300-34800	3200	2	1	3
17.	कैशियर	9300-34800	2400	1	—	1
18.	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5200-20200	2400	2	2	4
19.	स्टैनोटाईपिस्ट	5200-20200+100 विशेष भत्ता	1900	2	3	5
20.	चालक	5200-20200	2400	1	—	1
21.	लिपिक / रिकार्ड कीपर / स्टोर कीपर / टाईपिस्ट	5200-20200	1900	11	8	19
22.	सेवादार	4440-7440	1300	12	1	13
23.	स्वीपर कम चौकीदार	4440-7440+350 विशेष भत्ता	1300	1	—	1

हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का अमला

1.	सहायक	9300-34800	3200	—	1	1
2.	निजि सहायक	9300-34800	3600	—	1	1
3.	चालक	5200-20200	2400	—	1	1
4.	लिपिक	5200-20200	1900	—	1	1
5.	सेवादार	4440-7440	1300	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्रीय अमला						
1.	जिला कल्याण अधिकारी	9300-34800	4200	16	5	21
2.	उप-अधीक्षक	9300-34800	3600	13	--	13
3.	आंकडा सहायक	9300-34800	3300	3	--	3
4.	सहायक	9300-34800	3200	16	1	17
5.	तहसील कल्याण अधिकारी	9300-34800	3200	47	2	49
6.	लेडी सुपरवाइजर	9300-34800	3200	1	5	6
7.	स्टैनोटाइपिस्ट	5200-20200+100 विशेष वेतन	1900	5	14	19
8.	होस्टल वार्डन	9300-34800	3200	5	1	6
9.	लेखाकार कम लिपिक	5200-20200	2400	12	14	26
10.	लिपिक	5200-20200	1900	20	9	29
11.	पुरुष समाज सेवक	5200-20200	1900	38	--	38
12.	महिला समाज सेविका	5200-20200	2400	87	--	87
13.	महिला परिचारिका	4440-7440	1300	78	22	100
14.	सेवादार	4440-7440	1300	30	42	72
15.	स्वीपर कम चौकीदार	4440-7440+350 विशेष भत्ता	1300	4	16	20
16.	चौकीदार	4440-7440	1300	--	6	6
17.	कुक	4440-7440	1400	--	10	10
18.	सहायक कुक	4440-7440	1400	--	2	2
19.	चालक	5200-20200	2400	12	1	13
20.	स्वीपर	4440-7440	1300	--	6	6

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र						
1.	प्रधानाचार्य	9300-34800	4200	1	-	1
2.	प्राध्यापक हिन्दी	9300-34800	3600	-	4	4
4.	प्राध्यापक गणित	9300-34800	3600	-	2	2
5.	प्राध्यापक सामान्य ज्ञान	9300-34800	3600	-	4	4
6.	लेखाकार कम लिपिक	5200-20200	2400	-	4	4
7.	सेवादार	4440-7440	1300	3	1	4
8.	स्वीपर कम चौकीदार विशेष भत्ता	4440-7440+350	1300	-	1	1
9.	चौकीदार	4440-7440	1300	1	-	1

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

इन लोगों को संविधान में वर्णित न केवल कुछ संरक्षण ही प्रदान किए गए हैं वरन् इनकी वित्तीय दशा को सुधारने के उद्देश्य से कई पग भी उठाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि राज्य सरकार जनता के दुर्बलतम लोगों की विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगी तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगी। इसका अनुसरण करते हुए इन जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी धन की व्यवस्था की, इन जातियों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम धार्मिक एवं सामाजिक निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम 1948 था। इसका उद्देश्य समाज से छूआछूत की बुराई को दूर करना था। इसको वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा बनाए गए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाने लगा जो कि अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को होटलों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों तथा मन्दिरों में जाने से रोकना जुर्म है तथा प्रतिबन्ध लगाने वाले को सजा दी जाती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वरिष्ठतम अपर सब न्यायाधीश को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त न्यायालयों की स्थापना के साथ-साथ ही न्याय एवं प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से लोक अभियोजकों को इन विशेष न्यायालयों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

3.2 अनुसूचित जातियाँ

हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं ताकि इन जातियों के लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हो सके। इसके अतिरिक्त इनके आर्थिक विकास के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की हुई है। हरियाणा राज्य में 37 जातियाँ अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं जिसकी सूची अनुबन्ध 'क' पर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों की संख्या का जिला वार ब्यौरा अनुबन्ध 'घ' पर है।

3.3 विमुक्त जातियाँ

इन जातियों को 1952 में मान्यता दी गई है। इनके कल्याण के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। इनके बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन जातियों के लिए मकान अनुदान, लड़कियों की शादी हेतु शगुन प्रदान किया जाता है। इन जातियों के बच्चों के लिए जीन्द में एक छात्रावास चलाया जा रहा है। जिसमें 17 छात्रों के रहने का प्रबन्ध है। इस छात्रावास में मुफ्त भोजन तथा रहने की व्यवस्था है। विमुक्त जातियों की सूची अनुबन्ध 'ख' पर है।

3.4 पिछड़े वर्ग

हरियाणा सरकार द्वारा 76 जातियों को पिछड़े वर्ग में घोषित किया हुआ है जिनकी सूची अनुबन्ध 'ग' पर दी गई है। आरक्षण का लाभ उन जातियों को ही प्रदान किया गया है जो सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की परिभाषा में नहीं आते हैं। पिछड़ी जाति के बच्चों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। इसके साथ-साथ इन जातियों के आर्थिक विकास हेतु हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी।

4. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। इन वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले में 20 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। इन वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में श्रेणी III तथा IV में 27 प्रतिशत (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' तथा 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी') तथा श्रेणी I तथा II में 10 प्रतिशत तथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में 27 प्रतिशत (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' तथा 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी') आरक्षण किया गया है।

इस समय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, उसके बारे में विभिन्न विभागों में समय-समय पर इन जातियों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग में स्थापित रोजगार सैल द्वारा एकत्रित की जाती है तथा इस सैल द्वारा विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा इस सम्बन्ध में जो रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाते हैं उनका निरीक्षण भी किया जाता है। वर्ष 2008-2009 में 104 विभागों/बोर्डों आदि के रोस्टर रजिस्टर चैक किए गए।

विभाग के बजट की समीक्षा

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के वर्ष 2008-2009 के बजट में स्टेट प्लान स्कीमों, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान योजनाओं के अन्तर्गत 20464.20 लाख रुपये की राशि की कुल व्यवस्था थी। यह राशि वित्त वर्ष के अन्त में 16551.01 लाख रुपये कर दी गई। विभाग की स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रायोजित, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान की भिन्न-भिन्न स्कीमों पर 12348.66 लाख रुपये खर्च किए गए। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	स्कीमें	मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	कुल खर्च
(1)	राज्य प्लान स्कीमें	13000.00	9100.00	6135.11
(2)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	2125.70	2174.70	1407.64
(3)	विशेष केन्द्रीय सहायता	2100.00	2100.00	1167.22
(4)	नान प्लान स्कीमें	3238.50	3176.31	3638.69
कुल जोड़		20464.20	16551.01	12348.66

क) स्कीमों का शीर्ष

राज्य प्लान स्कीमें

1	अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के सदस्यों को मकान बनाने के लिए अनुदान	1400.00	2000.00	810.00
2	अनुसूचित जाति के छात्रों को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / अपोरच्युनिटी कोस्ट	1500.00	0.00	0.00
3	छटी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री के लिए अनुदान।	600.00	0.00	0.00
4	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर पुरस्कार योजना।	110.00	200.00	175.66
5	अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (9वीं से 12वीं तक)	1200.00	0.00	0.00
6(क)	हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को शेयर कैपिटल	100.00	100.00	100.00
(ख)	हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को प्रशासकीय खर्च जुटाने हेतु अनुदान	117.10	110.10	110.00

7	अनुसूचित जाति के मेधावी ग्रामीण छात्रों को मुफ्त रिहायशी सुविधा	25.00	8.00	3.73
8	अनुसूचित जाति की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण	72.00	55.00	5.71
9	इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	2300.00	2401.90	1968.98
10	डा० अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना	1450.00	1350.00	1233.90
11	अनुसूचित जाति के सदस्यों को आई.ए.एस. तथा अन्य उच्च प्रतियोगी सेवाओं की कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता	5.00	17.00	18.48
12	अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करने, चमड़ा रंगने तथा खाल उताराने आदि के कार्य में लगे अनुसूचित जाति के सदस्यों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	25.00	0.10	0.00
13.	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास	100.00	100.00	0.00
14	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को शेयर कैपिटल	180.00	180.00	140.00
15	पी.सी.आर. एक्ट 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की पालना :-			
	(क) कानूनी सहायता योजना	2.00	2.00	0.00
	(ख) अन्तर्जातीय विवाह योजना	20.00	20.00	23.50

	(ग) पंचायतों को पुरस्कार योजना, डिबेट व सेमिनार व स्कीमों का प्रचार	32.00	42.00	12.48
	(घ) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना	46.00	46.00	14.61
16	विभागीय अमले पर व्यय	100.00	50.00	2.37
17.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु अनुदान	405.00	400.73	385.30
18.	सूचना प्रौद्योगिकी	5.00	5.00	0.90
19.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों/ लड़कियों के लिए छात्रावास	0.10	65.00	130.00
20	अनुसूचित जाति के लिए कृषि भूमि खरीद योजना	970.00	0.00	0.00
2.1	पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय आवास	0.10	560.00	560.00
22	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति 10+2 स्नातकोत्तर	236.80	801.04	0.00
23	अनुसंधान एवं अध्ययन	5.00	5.00	0.00
24	पहली से 12वीं (स्कूल स्तर) कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रोत्साहन	0.10	0.00	0.00
25	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों की कम्प्यूटर के माध्यम से टाईपिंग तथा डाटा एन्ट्री में निपुणता बढ़ोतरी	84.00	40.00	39.49

26	10+2 उपरान्त स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रोत्साहन	0.10	0.00	0.00
27	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री खरीदने के लिए अनुदान 10+2 से स्नातकोत्तर	600.00	0.00	0.00
28	अनुसूचित जाति के लिए वस्त्र निर्माण केन्द्रों की स्थापना—हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अनुदान	168.87	0.10	0.00
29	अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण	300.00	0.10	0.00
30	रोजगार उन्नमुख संस्थाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना।	500.00	400.00	400.00
31	अनुसूचित जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बहुतकनीकी भवन निर्माण की स्थापना	200.00	0.10	0.00
32	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता	140.83	140.83	0.00
कुल		13000.00	9100.00	6135.11

ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां	25.00	0.10	0.00
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	600.00	600.00	591.58
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मैरिट अपग्रेडेशन स्कीम	9.60	9.60	9.54
4.	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास	100.00	100.00	0.00
5.	पोस्ट मैट्रिक स्कीम (पिछड़े वर्ग)	990.00	990.00	438.35
6.	पी.सी.आर. एक्ट 1955 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की पालना :-			
	(क) कानूनी सहायता योजना	2.00	2.00	0.00
	(ख) अन्तर्जातीय विवाह योजना	20.00	20.00	23.50
	(ग) पंचायतों को पुरस्कार योजना डिबेट व सेमिनार व स्कीमों का प्रचार	32.00	42.00	12.48
	(घ) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना	46.00	46.00	14.61
7.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण	0.10	65.00	130.00
8.	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग	1.00	0.00	0.00
9.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	300.00	300.00	187.58
जोड़		2125.70	2174.70	1407.64

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता

1	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राशि व अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु राशि	2100.00	2100.00	1167.22
---	--	---------	---------	---------

कुल जोड़		4225.70	4274.70	2574.86
-----------------	--	----------------	----------------	----------------

(घ) नान-प्लान स्कीमें

1	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	978.00	978.00	978.00
2	विमुक्त जाति के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	0.15	0.15	0.15
3	अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (स्कूल स्तर पर)	130.00	0.00	0.00
4	अनुसूचित जाति के छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / अपोरच्युनिटी कोस्ट	151.50	0.00	0.00
5	पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (9वीं से 12वीं)	750.00	750.00	1340.00

48.1041

01 1115

05 2515

रुपि

6	अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्तियां	10.56	10.56	10.53
7	छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00	0.45
8	पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति	7.00	7.00	5.83
9	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खरीदने के लिए ब्याज रहित कर्जा	80.00	0.00	0.00
10	विभिन्न धार्मिक संस्थाओं/ सोसायटीज को अनुदान सहायता	4.00	4.00	0.00
11	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	110.26	110.26	66.82
12	पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	50.35	62.98	54.12
13	विभाग के अमले पर किया गया व्यय	150.71	196.99	189.56
14	विमुक्त जातियों के लिए छात्रावास	9.88	12.03	9.12
15	हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले पर व्यय	9.02	11.05	7.90
16	क्षेत्रीय अमले पर खर्च	758.88	984.09	931.11
17	होस्टल के स्टॉफ पर खर्च	36.19	47.20	45.10
कुल जोड़		3238.50	3176.31	3638.69

6 राज्य प्लान स्कीमें

6.1 अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिए अनुदान

अनुसूचित जाति के सदस्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास निवास के लिए रहने योग्य मकान नहीं होते उनको इस विभाग द्वारा मकान बनाने के लिए 50,000/-रुपये व 10,000/-रुपये मकान की मरम्मत के लिए अनुदान

के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभपत्रों के पास कम से कम 50 वर्ग गज का प्लॉट होना चाहिए। इस वर्ष 732.00 लाख रुपये 2200 व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दिए गए।

6.2 टपरीवास एवं विमुक्त जातियों को मकान बनाने के लिए अनुदान

अनुसूचित जातियों की भांति टपरीवास एवं विमुक्त जाति के व्यक्तियों को भी मकान बनाने के लिए 50,000/- रुपये तथा मरम्मत के लिए 10,000/- रुपये अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष 78.00 लाख रुपये की राशि 228 व्यक्तियों को दी गई।

6.3 अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक/पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को मैरिट प्रोत्साहन

अनुसूचित जाति के मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को जो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, उन्हें निम्न दरों अनुसार मैरिट प्रोत्साहन दिया जाता है :-

क्र०स०	कक्षा	प्रोत्साहन राशि
1.	सीनियर सैकेण्डरी (10+2)	1000/- रुपये
2.	ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट	1500/- रुपये
3.	मैडीकल, एग्रीकल्चर, तकनीकी और पशुपालन में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट स्तर	2000/- रुपये

वर्ष 2008-2009 में इस योजना के अन्तर्गत 175.66 लाख रुपये की राशि 4243 छात्रों पर खर्च की गई।

6.4 अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को मुफ्त रिहायशी सुविधा प्रदान करना

अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले मेधावी छात्रों को ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने पर 700/- रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उनको 2000/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष पुस्तकें खरीदने हेतु तथा 1500/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष लेखन सामग्री तथा फुटकर खर्च हेतु दिए जाते हैं। जो छात्र इस स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा वह अन्य किसी स्कीम से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह स्कीम वर्ष 2002-2003 में आरम्भ की गई है। इस वर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत 3.73 लाख रुपये 32 छात्रों पर व्यय किए गये। यह स्कीम शिक्षा विभाग के माध्यम से परिपालित की जाती है।

6.5 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को शेयर कैपिटल

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 2.00 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का स्थापना दिसम्बर 1980 में की गई थी। यह हिस्सा पूंजी बाद में बढ़ाकर 20.00 करोड़ रुपये कर दी गई। सरकार ने इस निगम को 100.00 लाख रुपये की राशि बतौर हिस्सा पूंजी के लिए दी है। निगम ने इस वर्ष 1798 व्यक्तियों को 729.75 लाख रुपये की राशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त सरकार ने निगम को प्रशासकीय खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु 110.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

6.6 अनुसूचित जाति की विधवाओं को सिलाई का प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाली प्रत्येक अनुसूचित जाति की विधवा/निराश्रित महिला/गरीब लड़कियों जिनके माता-पिता की वार्षिक आय डी.आर.आई. स्कीम में आती है को इस स्कीम के अन्तर्गत 100/- रुपये प्रतिमास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति दी जाती है तथा 50/- रुपये प्रतिमास कच्चे माल पर प्रति प्रशिक्षणार्थी के लिए खर्च किए जाते हैं और एक वर्ष का कोर्स पूरा होने पर एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि सिलाई सीखने के बाद वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वर्ष 2008-2009 में इस स्कीम के अन्तर्गत 5.71 लाख रुपये व्यय किए गए जिससे 1720 विधवाओं/लड़कियों को लाभ पहुंचा। यह स्कीम राज्य में स्थित 86 कल्याण केन्द्रों में चलाई गई।

6.7 इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14-5-2005 से 'इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' नामक एक नई योजना आरम्भ की इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोगों एवं समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 15000/- रुपये तथा समाज की अन्य वर्गों की लड़कियों की शादी हेतु 5100/- रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 2008-09 में 1968.98 लाख रुपये की राशि 16907 (10047 अनुसूचित जाति 6860 अन्य वर्ग) लाभपत्रों पर खर्च की गई।

6.8 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आई.ए.एस. तथा उच्च सेवाओं की प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को कोचिंग देने से है जो राज्य में प्राइवेट विख्यात संस्थाओं से क्लास रूम या पत्राचार के द्वारा आई.ए.एस. या अन्य उच्च सेवाओं की प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण / कोचिंग लेना चाहते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 4000/- रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-2009 में इस स्कीम के अन्तर्गत 18.48 लाख रुपये 268 छात्रों पर खर्च किए गए।

6.9 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को हिस्सा पूंजी की राशि तथा मैचिंग असिस्टेंस

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय साधनों को मजबूत करने के दृष्टिगत राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा 51:49 के आधार पर हिस्सा पूंजी जुटाई जाती है। वर्ष 2008-2009 में निगम को हिस्सा पूंजी के लिए 140.00 लाख रुपये दिए गए। निगम ने अपनी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 12587 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुल 4566.32 लाख रुपये (अनुदान 1048.40 लाख रुपये, मार्जन मनी 283.30 लाख रुपये, 170.23 लाख रुपये सीधा ऋण तथा 3064.33 लाख रुपये) बैंक ऋण के रूप में वितरित किए।

6.10 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 2008-09 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 1233.90 (8567 अनुसूचित जाति एवं 3779 पिछड़े वर्ग) लाख रुपये की राशि 12346 छात्रों पर खर्च की गई।

6.11 पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय आवास योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभ पात्र को 1.00 लाख रुपये का ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान किया जाता है। जिसकी वसूली 10 वर्ष में की जाती है। यह योजना हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से परिपालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 560 लाभ पात्रों को 560.00 लाख रुपये की राशि दी गई है।

6.12 सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 2008-09 में सूचना प्रौद्योगिकी पर 0.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

6.13 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों हेतु "अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों का कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास नामक एक नई योजना वर्ष 2008-09 आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत इन वर्गों के बेरोजगार युवकों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो, को एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 250 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2008-09 में इस स्कीम के अन्तर्गत 39.49 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

6.14 रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना

अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना नामक नई योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो, को विभिन्न कोर्सों जैसे:- ड्राइविंग, पैरामैडिकल, आटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, एयर होस्टैस आदि के व्यवसायों हेतु अल्प अवधि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को वजीफा भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 400.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

7.1 अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करना, चमड़ा रंगना और खाल उतारना आदि में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुष्क शौचालयों को साफ करना, चमड़ा रंगना और खाल उतारना आदि में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों के लिए करनाल, रोहतक, अम्बाला, रेवाड़ी तथा फरीदबाद में होस्टल स्थापित किए हुए हैं। वर्ष 2008-2009 में इन छात्रावासों में 162 बच्चों ने लाभ प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे छात्रावासों में नहीं रहते उन्हें पहली से 10वीं कक्षा तक 110/- रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति तथा

750/-रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान तथा छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 700/-रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति तथा 1000/- रुपये तदर्थ अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष 6658 बच्चों पर 66.82 लाख रुपये (0.00 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित तथा 0.00 लाख रुपये राज्य प्लान तथा 66.82 लाख रुपये नान प्लान) खर्च किए गए। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत कुल 6820 छात्रों ने लाभ प्राप्त किया।

7.2 अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिये होस्टल निर्माण स्कीम
वर्ष 2008-09 में 230.00 लाख रुपये (130.00 लाख रुपये राज्य प्लान तथा 130.00 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि एक छात्रावास पर खर्च की गई है।

7.3 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

इस विभाग द्वारा 4 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बाला, भिवानी, रोहतक तथा रेवाड़ी, में चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को हिन्दी/अंग्रेजी में टाईप तथा शार्टहैंड का एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन उम्मीदवारों को 100/- रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। इस वर्ष 210 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नियमति एक वर्ष का टाईप तथा शार्टहैंड में प्रशिक्षण के लिए दाखिला दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में 54.12 लाख रुपये खर्च किये गये।

7.4 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम परिपालित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 140/-रुपये से लेकर 740/- रुपये तक प्रतिमास की छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय फीस तथा अन्य अनिवार्य फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस वर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत कुल 1569.58 लाख रुपये की राशि (978.00 लाख रुपये नान प्लान तथा 591.58 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सा) 26620 विद्यार्थियों पर व्यय की गई। यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा परिपालित की जा रही है। राज्य से बाहर पढ़ने वाले तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को इस विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

7.5 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की मैरिट को अपग्रेड करने की स्कीम

अनुसूचित जाति के छात्रों का शिक्षा स्तर ऊंचा करने तथा उनके सर्वांगीण विकास तथा आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से योग्यता बढ़ोतरी स्कीम के माध्यम से

आवासीय स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं ताकि इन छात्रों की शैक्षणिक कमजोरी दूर की जा सके और ये छात्र दूसरे छात्रों की भांति व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में 9.54 लाख रुपये की राशि 40 अनुसूचित जाति के छात्रों पर खर्च की गई।

7.6 पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में 90/-रुपये से लेकर 425/-रुपये तक प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों को सभी अनिवार्य फीसों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 44,500/- रुपये है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 438.35 लाख रुपये की राशि 28705 पिछड़े वर्ग के छात्रों पर खर्च की गई।

7.7 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

अनुसूचित जाति की छात्राओं के छात्रावास निर्माण/बढ़ोतरी हेतु 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है तथा अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावास निर्माण/बढ़ोतरी हेतु 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा व शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है तथा निजी संस्थाओं को छात्रावास की बढ़ोतरी हेतु 45 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व शेष 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है। निर्माण लागत की गणना भारत सरकार की हिदायतों अनुसार की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 187.58 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

7.8 पी.सी.आर.एक्ट '1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' 1989 की पालना हेतु मशीनरी

(क) कानूनी सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों, भूमिपतियों द्वारा अत्याचार और भूमि बेदखली के मुकदमों में पैरवी करने के लिए कानूनी सहायता दी जाती है। वर्ष 2008-2009 में इस योजना के अन्तर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह योजना

अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों से विवाह करने वाले गैर अनुसूचित जाति की लड़की/लड़के को 50,000/- रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। जिसमें से 20,000/- रुपये की राशि नकद तथा 30,000/- रुपये दोनों के संयुक्त नाम से 6 वर्षीय फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा कर दिए जाते हैं। वर्ष 2008-2009 में 47.00 लाख रुपये (23.50 लाख रुपये प्लान तथा 23.50 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित योजना) की राशि 94 विवाहित जोड़ों को प्रदान की गई।

(ग) छुआछूत को दूर करने हेतु डिबेट्स व सैमीनार, पंचायतों को पुरस्कार राशि तथा स्कीमों का प्रचार

इस स्कीम के अन्तर्गत 24.96 लाख रुपये (12.48 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 12.48 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई। अनुसूचित जातियों के लिए जो पंचायत प्रकृष्ट कार्य जैसे छुआछूत को दूर करना, गलियां पक्की करना तथा लड़कियों का स्कूल में दाखिल कराना आदि का कार्य करती हैं, उन्हें 5000/- रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान 17.50 लाख रुपये (8.75 लाख प्लान तथा 8.75 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) व्यय किये गये और 35 पंचायतों को पुरस्कार दिये गये तथा 6.36 लाख रुपये (3.18 लाख रुपये प्लान तथा 3.18 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। 18 डिबेट्स एवं सैमीनार पर 1.10 लाख रुपये (0.55 लाख रुपये स्टेट प्लान व 0.55 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि खर्च की गई।

(घ) अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा अत्याचार किए जाने से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 15000/- रुपये से 2.00 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2008-2009 में इस स्कीम के अन्तर्गत 29.25 लाख रुपये से (14.62 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित प्लान से तथा 14.63 लाख रुपये प्लान) 95 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई।

8. विशेष केन्द्रीय सहायता

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत इस वर्ष हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जाति की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1045.87 लाख रुपये प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त हरियाण अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिला झज्जर व रोहतक के 44 गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु 121.35 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को उनके द्वारा परिपालित की जा रही स्कीम 'स्पेशल ट्रेनिंग एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ आई०टी०आई०' हेतु उनके बजट से 38.33 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

9. नान-प्लान स्कीमें

9.1 अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति की छात्राओं को शिक्षा में उत्साहित करने के उद्देश्य से 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रत्येक जिलों में 10-10 छात्राओं को क्रमशः 80/- रुपये, 100/- रुपये, 120/- रुपये व 140/- रुपये मासिक योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2008-2009 में इस स्कीम के अन्तर्गत 10.53 लाख रुपये 798 छात्राओं पर खर्च किए गए।

9.2 पिछड़े वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (स्कूल स्तर)

इस स्कीम का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निम्न सुविधाएं प्रदान करना है :-

1. 40/- रुपये प्रतिमास प्रति विद्यार्थी ब्लॉक 'ए' के छात्रों को तथा 20/- रुपये प्रतिमास प्रति विद्यार्थी ब्लॉक 'बी' के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
2. प्राइवेट मान्यताप्राप्त संस्थाओं/स्कूलों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति।
3. 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति।

यह सुविधा उन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं। वर्ष 2008-2009 में 1340.00 लाख रुपये 314678 विद्यार्थियों पर खर्च किए गए।

9.3 विभिन्न धार्मिक संस्थाओं/सोसायटीज को अनुदान सहायता

धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/सोसायटीज को इस स्कीम के अन्तर्गत धार्मिक भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष इस स्कीम पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

9.4 पहली से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

विमुक्त जाति के छात्रों को पहली से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं तक 10/-रुपये से 185/-रुपये प्रतिमास तक प्रति विद्यार्थी की दर से मिन-2 कक्षाओं में छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2008-2009 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 6.43 लाख रुपये खर्च किए गए जिससे 6088 छात्रों को लाभ पहुंचा। यह स्कीम शिक्षा विभाग के माध्यम से परिपालित की जाती है।

9.5 विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में छात्रावास

जिला जीन्द में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए एक छात्रावास चलाया जा रहा है जिसमें 50 छात्रों का रहने का प्रावधान है। छात्रों को छात्रावास में मुफ्त खाना, रहने की सुविधा बिस्तर आदि भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन छात्रों पर 400/- रुपये प्रतिमाह छठी से आठवीं तथा 480/- रुपये प्रतिमाह नौवीं तथा दसवीं के छात्रों पर छात्रवृत्ति के रूप में खर्च किए गए हैं। इन छात्रों को शहर के अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया जाता है ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्ष 2008-2009 में 17 छात्रों पर 9.12 लाख रुपये की राशि नान प्लान साईड से खर्च की गई।

9.6 हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले पर व्यय

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार सिविल रिट पेटिशन नं० 930 ऑफ 1990 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दिए निर्देशों की पालना के दृष्टिगत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.10.1993 द्वारा हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसको पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों को सम्पूर्ण रूप से विचार करके अपनी सिफारिश करना तथा सम्पन्न वर्गों की पहचान करने आदि का कार्य सौंपा गया है। इस वर्ष इस आयोग के अमले पर प्लान साईड से 7.90 लाख रुपये का खर्च हुआ।

9.7 विभाग के अमले पर व्यय

इन सभी स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय तथा क्षेत्र में नियुक्त मद नं० 2 में दर्शाए गए अमले पर वर्ष 2008-2009 में 1168.14 लाख रुपये की राशि (1165.77 लाख रुपये नान प्लान साईड पर तथा 2.37 लाख रुपये प्लान साईड पर) खर्च की गई।

9.8 अनुसूचित जाति उप योजना(SCSP)

अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा भारत सरकार की हिदायतों अनुसार अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अपनी प्लान योजनाओं की राशि का कुछ भाग रखा जाता है। इस वर्ष अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत राज्य का कुल 7108.28 करोड़ रुपये योजना खर्च में से 1205.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई जो कि कुल खर्च का 16.96 प्रतिशत है।

9.9 चौकसी से सम्बन्धित सूचना

इस विभाग की चौकसी से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र० संख्या	कर्मचारी का नाम तथा पद	अन्य विवरण
1	श्री मोती राम, तहसील कल्याण अधिकारी	कर्मचारी दिनांक 27.05.08 को 3000/-रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था उसे दिनांक 27.05.08 से निलम्बित कर दिया गया था। उसके विरुद्ध कोर्ट केस चलाने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 19.09.08 को प्रोसीक्युसन सैंक्सन दे दी गई है।
2	श्री रोशन लाल, उप अधीक्षक	कर्मचारी दिनांक 10.03.09 को 4000/-रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था उसे दिनांक 10.03.09 से निलम्बित कर दिया गया था। उसके विरुद्ध कोर्ट केस चलाने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 27.08.09 को प्रोसीक्युसन सैंक्सन दे दी गई है।

9.10 उपसंहार

सारांश यह है कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त एवं टपपरीवास जातियों के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना जैसी सभी योजनाओं पर पूर्णतः अमल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों को सरकारी/अर्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण नीति भली भांति लागू करने के उद्देश्य से 104 विभागों/निगमों के रोस्टर रजिस्टर चैक किए गए हैं। महिलाओं के सामाजिक/आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए राज्य के विभिन्न गांवों में 86 कल्याण केन्द्र चलाए गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को एक साल का सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण उपरान्त एक नई सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है। इन सब कार्यक्रमों से इस विभाग को यह श्रेय प्राप्त होगा कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त एवं टपपरीवास जातियों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधरेगी तथा इनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी जिससे यह अन्य जातियों की तरह सम्मानित तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अनुबन्ध - "क"

अनुसूचित जाति की सूची

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. आदधर्मी | 21. कोरी, कोली |
| 2. बाल्मीकी, चूडा, भंगी | 22. मरीजा, मरीचा |
| 3. बंगाली | 23. मजहबी, मजहबी सिख |
| 4. बरार, बुरार, विरार | 24. मेघ, मेघवाल |
| 5. बटवाल, बरवाला | 25. नट, बादी |
| 6. बोरिया, बावरिया | 26. ओड |
| 7. बाजीगर | 27. पासी |
| 8. भंजरा | 28. पेरना |
| 9. चमार, जटिया-चमार, रेहगर,
रायगर, रामदासी, रविदासी, बलाही,
बटोही, भटोई, भाम्बी, चमार-रोहिदास,
जाटव, जाटवा, मोची, रामदासिया | 29. फरेरा |
| 10. चनाल | 30. सनहाई |
| 11. दागी | 31. सनहाल |
| 12. डरेन | 32. सांसी, भेंडकूट, मनेश |
| 13. डेहा, डहया, डीया | 33. संसोई |
| 14. धानक | 34. सपेला, सपेरा |
| 15. डोगरी, डांगरी, सिग्गी | 35. सरेड़ा |
| 16. डूमना, महाशा, डूम | 36. सिकलीगर, बारिया |
| 17. गगड़ा | 37. सिरकीबंद |
| 18. गंधीला, गंदील, गंदोला | |
| 19. कबीर पंथी, जुलाहा | |
| 20. खटीक | |

अनुबन्ध - 'ख'

विमुक्त जाति की सूची

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. बंगाली | (xvii) रहलवाला |
| 2. बरार | (xviii) बिडडू |
| 3. बोरिया | (xix) लेगेह |
| 4. नट | (xx) सिंगीवाला |
| 5. गंधीला | (xxi) कलखर |
| 6. सांसी | (xxii) चड्डी, चाडी |
| (नीचे लिखी उप जातियों सहित) | (xxiii) बीरतवान |
| (i) कूचबन्द | (xxiv) बिहालिया |
| (ii) भेड़कूट | (xxv) पाखीवाड़ा |
| (iii) मनेश | (xxvi) बददन |
| (iv) गोदरी | (xxvii) हरनी |
| (v) रेचबन्द | 7. करनाल के तेगू |
| (vi) कपेट | 8. पुलिस स्टेशन शंकरपुर जिला
शेखपुरा से आने वाले महात्म |
| (vii) अहारिया | 9. मीना |
| (viii) तेतलू | 10. गुड़गावां के धीनवारा |
| (ix) भेड़िया | 11. जिला कांगड़ा के भौरा ब्राहमण |
| (x) गंटू | |
| (xi) अरहर | |
| (xii) भट्ट | |
| (xiii) चाटटू | |
| (xiv) हाबूरा | |
| (xv) कीकन | |
| (xvi) हरार | |

टपरीवास जाति की सूची

1	बाजीगर	8	शेरगिर
2	मिरासी	9	हेड़ी. नायक
3	शिकलीगर	10	कंजर
4	पेरना	11	मल्लाह
5	गवारिया	12	
6	बंजारा		

अनुबन्ध - "ग"

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग की सूची

ब्लॉक "ए"

क्रमांक	जाति का नाम	क्रमांक	जाति का नाम
1.	अहेरिया, अहेड़ी, हेडी, नायक, थोरी या तूरी, हारी	19.	धीमार, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झीवर, धीवर, खेवट, मेहरा, निषाद, शक्का, भिस्ती, शेख-अब्बासी
2.	बर्सा	20.	धौसाली, दोसाली
3.	बेटा, हैंसी या हैसी	21.	फकीर
4.	बगड़िया	22.	गवारिया, गोरिया, गवार
5.	बरवार	23.	धीराथ
6.	बराए, तम्बोली	24.	घासी, घसियारा या घौसी
7.	बरागी, बैरागी, स्वामी साध	25.	गोरखा
8.	बटेरा	26.	गवाला, गोवाला
9.	भडभूजा, भडभूजा	27.	गडरिया, पाल, बाघेल
10.	भाट, भाटड़ा, दार्पी, रामिया	28.	गाड़ी लोहार
11.	बुहालिया-लोहार	29.	हजाम, नाई, नाईज, सैन
12.	चन्नार	30.	झांगड़ा-ब्राह्मण, खाती, सुथार, धीमान, तरखान, बरहाई, बाड्डी
13.	चिड़ीमार	31.	जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी
14.	चंग	32.	कंजर, कंचन
15.	चिम्बा, छिप्पी, चिम्पा, दर्जी, रोहिला	33.	कुर्मी
16.	डेया		
17.	धोबी		
18.	डाकोत		

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 34. कुम्हार, प्रजापती | 57. तेली |
| 35. कम्बोज | 58. बंजारा, वंजारा |
| 36. खंगहेड़ा | 59. वीवर (जुलाहा) |
| 37. कुचबन्द | 60. बादी / बादो |
| 38. लबाना | 61. भट्टू / चट्टू |
| 39. लखेरा, मनीहार, कचेरा | 62. मीना |
| 40. लोहार, पांचाल | 63. रेहवारी |
| 41. मदारी | 64. चारन |
| 42. मोची | 65. चारज (महा ब्राहमण) |
| 43. मिरासी | 66. उदासीन |
| 44. नार | 67. रामगढ़िया |
| 45. नुनगर | 68. रंगरेज, लीलगर, नीलगर,
लल्लारी |
| 46. नलबन्द | 69. डावला, सोनी-डावला, नियारिया |
| 47. पिंजा, पैजा | 70. भर, राजभर |
| 48. रेहार, रेहाडा या रे | 71. नट (मुस्लिम) |
| 49. रायगर | बलाक "बी" |
| 50. रायसिक्ख | 1. अहीर / यादव |
| 51. रेचबन्द | 2. गुज्जर |
| 52. शोर गिर, शेरगिर | 3. लोध / लोधा, लोधी |
| 53. रोई | 4. सैनी, शाक्या |
| 54. सिंगीकाट, सिंगीवाला | 5. मेव |
| 55. सुनार, जरगर, सोनी | |
| 56. ठठेरा, तमेरा | |

अनुबन्ध - 'घ'

हरियाणा राज्य की जिलावार जनसंख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा उसका प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर)

क्र० सं०	जिले का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	प्रतिशत
1.	पंचकूला	4,68,411	72,637	15.51
2.	अम्बाला	10,14,411	2,54,477	25.09
3.	यमुनानगर	10,41,630	2,55,550	24.53
4.	कुरुक्षेत्र	8,25,454	1,69,394	20.52
5.	कैथल	9,46,131	2,03,875	21.55
6.	करनाल	12,74,183	2,67,424	20.99
7.	पानीपत	9,67,449	1,52,803	15.79
8.	सोनीपत	12,79,175	2,31,347	18.09
9.	जीन्द	11,89,827	2,35,765	19.82
10.	फतेहाबाद	8,06,158	2,21,107	27.43
11.	सिरसा	11,16,649	2,97,556	26.65
12.	हिसार	15,37,117	3,38,045	21.99
13.	भिवानी	14,25,022	2,79,470	19.61
14.	रोहतक	9,40,128	1,79,550	19.10
15.	झज्जर	8,80,072	1,56,531	17.79
16.	महेन्द्रगढ़	8,12,521	1,32,512	16.31
17.	रिवाड़ी	7,65,351	1,44,452	18.87
18.	गुड़गाँव	16,60,289	1,87,872	11.32
19.	फरीदाबाद	21,94,586	3,10,743	14.16
	कुल	2,11,44,564	40,91,110	19.35

प्राप्ति स्थान : जनगणना कार्य,
हरियाणा।

अनुबन्ध 'ड'

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में वर्ष 2008-2009 में चलाए गए कल्याण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	जिल्ले का नाम	जगह का नाम	कल्याण केन्द्र / गांव का नाम
1	2	3	4
1.	पानीपत	ईसराना बापोली समालखां	ईसराना जलमाना शहरमालपुर
2	यमुनानगर	बिलासपुर सढौरा जगाधरी	कपालमोचन पाण्डो फर्कपुर
3	फतेहाबाद	फतेहाबाद टोहाना रतिया भूना	झलनियों कन्हडी बराबन्दी जाखल
4.	गुडगांव	गुडगांव पटौदी सोहना फरुखनगर	बन्धवाडी जाटौली बादशाहपुर बुठेडा
5	कैथल	कलायत गुहला राजौन्द कैथल पुण्डरी	रामगढपांडवा हरिगढकिंगन राजौन्द पाडला डाण्ड
6	हिसार	हाँसी-1 नारनौंद	डाटा मिर्चपुर

1	2	3	4
		बरवाला हिसार-I उकलाना हाँसी-II हिसार-II अग्रोहा आदमपुर	देवीगढ़पूनियों कैमरी सूरेवाला थुराना पातन कालीरावण खाराबरवाला
7	पंचकूला	पिन्जौर पिन्जौर रायपुररानी बरवाला	सकेतडी वासुदेवपुरा खेडी खटौली
8	सोनीपत	सोनीपत मुण्डलाना कथुरा गन्नौर खरखौदा राई	ककरोई खन्दराई मदीना राजलुगढ़ी भोगीपुर सिसाना राठधाना
9	सिरसा	ओढ़ा नाथुसरीचौपटा सिरसा	जगमालवाली गुडियाखेडा शाहपुरबेगू
10	जीन्द	उचाना नरवाना पिल्लूखेडा जीन्द जुलाना अलेवा सफीदों	दुर्जनपुर दबलैन भडताना झांजकलां किनाना दुडाना सिंधाना

1	2	3	4
11	फरीदाबाद	होडल फरीदाबाद बल्लबगढ़	बामनीखेडा बडखल फतेहपुर बिलौच
12	करनाल	करनाल निसिंग घरौण्डा	कुन्जपुरा निसिंग कैमला
13	रोहतक	रोहतक लाखनमाजरा सोंपला महम कलानौर	ब्रहामणवास नान्दल खरावड़ निदाना कलानौर
14	नारनौल	अटेली कनीना नारनौल नागलचौधरी महेन्द्रगढ़	खासपुर गुढा जाखनी सेका कौथलकलां
15	कुरुक्षेत्र	लाडवा पिहोवा थानेसर	खेडी दाबदलान थाना ज्योतिसर
16	भिवानी	कैरू भिवानी दादरी-II बवानीखेडा तौशाम भिवानी	लौहानी खरककलां छप्पार जादूलौहारी निगानाकलां सरायचौपटा
17	झज्जर	बहादुरगढ़ मातनहेल	रोहद छुछकवास

1	2	3	4
		बेरी	बरहाना
		झज्जर	महराना
18	अम्बाला	साहा शाहजादपुर	कालपी बिलासपुर
19	मेवात	पुन्हाना नूँह तावडू	पिनगंवा इण्दरी तावडू
20	रिवाड़ी	नाहड जाटूसाना रिवाड़ी रिवाड़ी	भाकली जाटूसाना सहारनवास गुरु रविदास मन्दिर, रिवाड़ी